रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 277] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 12, 2012/अग्रहायण 21, 1934
No. 277] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 12, 2012/AGRAHAYANA 21, 1934

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2012

सं. 36 (आरई-2012)/2009—2014

विषय : प्रक्रिया पुस्तक, खंड-I (आरई-2012)/2009-2014 के पैरा 3.11.8 में संशोधन ।

फा. सं. 01/91/180/160/एएम 12/पीसी-3.—विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैरा 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा, प्रक्रिया पुस्तक खंड-I (आरई-2012)/2009-2014 के पैरा 3.11.8(ग) को संशोधित करते हैं :—

2. संशोधित पैरा निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

"(ग) यदि ऐसे लाभों को प्राप्त करने हेतु किसी नए उत्पाद अथवा नए बाजार को शामिल करने का निर्णय वर्ष के दौरान लिया जाता है, तब :—

(i) ऐसे उत्पादों का निर्यात करने के लिए/ऐसे बाजारों को निर्यात करने के लिए मुक्त पोतलदान बिलों पर इस आशय की घोषणा करने के लिए निर्णय/अधिसूचना/सार्वजनिक सूचना की तिथि से एक महीने की छूट अवधि की अनुमति दी जाएगी ।

(ii) एक महीने की छूट अवधि के बाद, सभी निर्यातों (ऐसे उत्पादों के अथवा ऐसे बाजारों को) में मुक्त पोतलदान बिलों पर इस आशय की घोषणा शामिल करनी होगी ।

(iii) उत्पादों/बाजारों के निर्णय/अधिसूचना/सार्वजनिक सूचना की तिथि से पहले किए गए निर्यातों के लिए, ऐसी घोषणा की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि ऐसे निर्यात पहले ही किए जा चुके हैं ।"

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव : प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-I के पैरा 3.11.8 (ग) में आने वाले 'तत्पश्चात/बाद' शब्द को 'वर्ष के दौरान' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाता है ।

अनुप के. पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 12th December, 2012

No. 36 (RE-2012)/2009-2014

Subject : Amendment in Para 3.11.8 of Handbook of Procedures Vol. I (RE 2012)/2009-2014.

F. No. 01/91/180/160/AM 12/PC-3.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2009-2014, the Director General of Foreign Trade hereby amends Para 3.11.8 (c) of the Handbook of Procedures Vol. I (RE-2012)/2009-2014:

2. The amended para would now read as under :

"(c) If there is a decision during the year to include any new product or new market to avail such benefit, then:

(i) For exports of such products/ export to such markets, a grace period of one month from the date of decision/notification/public notice will be allowed for making this declaration of intent on free shipping bills.

(ii) After the grace period of one month, all exports (of such products or to such markets) would have to include the declaration of intent on the free shipping bills.

(iii) For exports made prior to date of decision/notification/public notice of products/markets, such a declaration will not be required since such exports would have already taken place."

Effect of this Public Notice : The words 'subsequently/later' appearing in Para 3.11.8 (c) of Handbook of Procedures Vol. I are replaced by the words 'during the year'.

ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.